

कम्प्यूटर परिपत्र सं० - २०२१०३७ दिनांक ०७-०१-२०२१  
पत्र सं०-आई०टी०-नोटिस एवं कर निर्धारण/डीलर्स मार्किंग/२०१९-२०/परिपत्र सं०/ ६१२ /वाणिज्य कर।  
कार्यालय:-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
(विधि अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक :: ०७ जनवरी, २०२१

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

कृपया विधि अनुभाग के परिपत्र सं०-आई०टी०-नोटिस एवं कर निर्धारण/डीलर्स मार्किंग/२०१९-२०/२०२१०३१/४३१ दिनांक २४-११-२०२० का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, २००८ के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ के प्रथम तिमाही के डीलरों की मार्किंग के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में समस्त जोनों द्वारा डीलर मार्किंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

अग्रेत्तर आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष २०१७-१८ के प्रथम तिमाही में उपरोक्तानुसार रु०-५० लाख से कम वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों की ०३ बिन्दुओं पर मार्किंग के उपरान्त डीमड से बाहर किये गये वादों का R5A जनरेट करते हुए निस्तारण प्रत्येक दशा में दिनांक ३१-०३-२०२१ तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त वादों की सूची प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध करा दी गयी है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

कम्प्यूटर परिपत्र सं० - २०२१०३७ दिनांक ०७-०१-२०२१  
पत्र सं०-आई०टी०-नोटिस एवं कर निर्धारण/डीलर्स मार्किंग/२०१९-२०/परिपत्र सं०/ ६१२ /वाणिज्य कर।  
कार्यालय:-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
(विधि अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक :: ०७ जनवरी, २०२१

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

कृपया विधि अनुभाग के परिपत्र सं०-आई०टी०-नोटिस एवं कर निर्धारण/डीलर्स मार्किंग/२०१९-२०/२०२१०३१/४३१ दिनांक २४-११-२०२० का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, २००८ के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ के प्रथम तिमाही के डीलरों की मार्किंग के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में समस्त जोनों द्वारा डीलर मार्किंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

अग्रेत्तर आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष २०१७-१८ के प्रथम तिमाही में उपरोक्तानुसार रु०-५० लाख से कम वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों की ०३ बिन्दुओं पर मार्किंग के उपरान्त डीमड से बाहर किये गये वादों का R5A जनरेट करते हुए निस्तारण प्रत्येक दशा में दिनांक ३१-०३-२०२१ तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त वादों की सूची प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध करा दी गयी है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।